


-: सूचना :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के अनुसार वर्ष 2024-25 में शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु विभाग में कार्यरत कार्मिकों की, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु वृत्त स्तर से प्राप्त सेवा सम्बन्धी विवरण के आधार पर तैयार की गई पात्रता सूची व उपलब्ध/सम्भावित रिक्तियों का विवरण विभागीय वेबसाईट [www.minorirrigation.uk.gov.in](http://www.minorirrigation.uk.gov.in) पर अपलोड किये जाने हेतु जारी की जा रही है। मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्नति के उपरान्त पदस्थापना होने एवं रिक्त पदों पर पदोन्नति कार्यवाही प्रस्तावित होने के दृष्टिगत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की पात्रता सूची में निर्गत नहीं की जा रही है।

  
(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ आफिसर,  
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
लघु सिंचाई भवन, लेन नं0 3, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नत्थनपुर, देहरादून।**


संख्या 230 / ल0सि0 / स्था0-23(7-स्थाना0) / 2024-25 दिनांक 16 मई 2024

**प्रतिलिपि** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. श्री मातवर सिंह फर्स्वाण, नोडल अधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को संलग्नक की प्रति सहित इस निर्देश के साथ कि वे उक्त सूचनार्थे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(संलग्न : उक्तानुसार)

4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
(सुरेश चन्द्रा) 16/5/2024

स्टाफ आफिसर,  
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।